


फर्द अहकाम

2025/742

06/1/2026

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़ सरला बनाम पतराम आदि मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 162 वर्ष 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.09.2025 | <p>प्रार्थीया सरला की तरफ से वकील श्री राकेशकुमार भाकर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 1 पीपीएम के प.नं. 219/440(6) कि.नं. 11 की 0.133 है., 12 की 0.253 है., 18 की 0.201 है., 19 की 0.253 है., 20 की 0.177 है., 21/1 की 0.033 है., 22/2 की 0.202 है., 22/2 की 0.202 है., 23/1 की 0.033 है. कुल 1.285 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से तथा निर्माण कार्य करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 13.10.2025 को पेश हो।</p> | |
| 13.10.2025 | <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>1 कुलार्थ कलक्टर व पारस्थत/PU माहक गठित है। पत्रावली 16.12.2025</p> <p>पत्रावली 16.12.2025</p> | |
| 16.12.2025 | <p>1 कुलार्थ कलक्टर व पारस्थत/PU माहक गठित है। पत्रावली 17.12.2025</p> <p>पत्रावली 17.12.2025</p> | |
| 6.1.2026 | <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मिलावट के भी पेश करने पर सजावली को पेश में निष्पादित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी का राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में कभी नू चलावना चाहते हैं प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में कभी नू चला जा रहा है। पत्रावली नम्बर 16 की आधर काड तल्बीक तल्बील जाणा हा। जिल दफतर हो।</p> |  |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर